न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बरही (हजारीबाग)
दाखिल खारिज अपील वाद सं0 09/2013
श्रीमति अम्बिया देवी – बनाम–राज्य एवं अन्य

तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
02-06-17	प्रस्तुत वाद की कार्यवाही दिनांक 19.11.13 को अंचल अधिकारी बरही द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 338/13–14 में पारित आदेश के विरूद्ध आवेदिका श्रीमति अम्बिया देवी पति चोली महतो निवासी ग्राम मलकोको थाना बरही जिला हजारीबाग के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से यह दाखिल खारिज अपील वाद दायर किया गया है तदोपरांत आवेदिका के आवेदन पत्र पर विधिवत् अभिलेख खोलते हुए पक्षकार श्रीमति अम्बिया देवी बनाम राज्य एवं अन्य को नोटिस निर्गत कर संबंधित भूमि का कागजात एवं अंचल अधिकारी, बरही से दाखिल खारिज वाद सं0 338/13–14 का अभिलेख इस कार्यालय के ज्ञापांक 385/रा0 दिनांक 11.12.13 से मांग की गयी है। नोटिस तामिला अभिलेख में साक्ष्य के रूप में संलग्न है। नोटिस प्राप्ति के पश्चात आवेदिका अम्बिया देवी एवं अन्य उपस्थित हुए तथा अपना पक्ष रखते हुए अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों को उल्लेख करते हुए अवगत कराया गया है कि मौजा पहाड़पुर के अन्तर्गत खाता नं0 33 प्लॉट नं0 37 रकबा 9.48 एकड़ मध्ये रकबा 4.74 एकड़ भूमि जो मौजा पहाड़पुर थाना बरही थाना नं0 112 जिला हजारीबाग के अन्तर्गत अवस्थित है। सर्वे खतियान में भगिया देवी पति लाटो महतो के नाम से दर्ज है तथा अपीलकर्त्ता के पति का परदादी, सास थी। इन्होंने अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि झमन महतो जो उक्त खाता, प्लॉट की भूमि में एक हिस्सेदार है को पैसे की सख्त अवश्यकता हुई तथा उक्त खाता, प्लॉट की भूमि में 4.74 एकड़ भूमि निबंधित केवाला सं0 13134 दिनांक 03.12.1988 को आवेदिका ने रैयती तथा भूमि पर खरीदगी की तिथि से दखलकार चली आ रही है। आवेदिका नें अपने आवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि इसी खाते एवं प्लॉट की भूमि को अवैध तरीके से छतरू यादव के द्वारा रकबा 2.00 एकड़ भूमि क्रय किया गया है जो गलत है। अंचल अधिकारी, बरही ने अपने पत्रांक 02 दिनांक 02.01.2014 से दाखिल खारिज अभिलेख सं0 338/13–14 इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, बरही से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से प्रतित होता है कि अंचल अधिकारी, बरही ने अपने आदेश फलक में दिनांक 31.05.13 को पारित आदेश ने अंकित किया है कि मौजा पहाड़पुर थाना नं0 112 के अन्तर्गत खाता सं0 33 प्लॉट नं0 37 कुल	

तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	रकवा 9.48 एकड़ भूमि रैयती खाते की है। आवेदिका अम्बिया देवी ने झमन महतो से केवाला द्वारा भूमि क्रय किया है तथा भूमि पर आवेदिका का दखल कब्जा नहीं है। आवेदिका के आवेदन पर छतरू यादव द्वारा लिखित रूप से आवेदन दिया है कि विक्रेता अपने हिस्से से अधिक भूमि का बिक्री किया गया है। बिक्रेता के द्वारा आवेदिका के पास 4.74 एकड़ तथा अपत्तिकर्ता छतरू यादव के पास दिनांक 06.12.1988 को वजरीये केवला सं0 13199 से खाता सं0 33 प्लॉट नं0 37 रकबा 2.00 एकड़ भूमि बिक्री किया है। अंचल अधिकारी, बरही ने अपने आदेश फलक पर उल्लेख किया है कि आवेदिका का भूमि पर दखल कब्जा नहीं है और विक्रेता के द्वारा अपने हिस्से से भी अधिक भूमि विक्री किया गया है। दिनांक 24.07.14 को छतरू यादव ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन दिया है कि अंचल अधिकारी, बरही के दाखिल खारिज वाद सं0 10/2002–03 की अभिलेख साक्ष्य के रूप में मांग करने हेतु आवेदन पत्र न्यायालय में दाखिल किया उक्त आवेदन पर इस कार्यालय के पत्रांक 342 दिनांक 25.07.14, पत्रांक 696 दिनांक 11.11.14 , पत्रांक 368 दिनांक 23.07.15 एवं पत्रांक 341 दिनांक 21.07.16 से वांछित अभिलेख की मांग की गयी। उक्त पत्र के आलोक में अंचल अधिकारी, बरही ने अपने पत्रांक 438 दिनांक 17.08.16 से प्रतिवेदित किया है कि दाखिल खारिज वाद सं0 10/2002–03 अंचल कार्यालय में अभिलेख उपलब्ध नहीं है। दाखिल अपील आवेदन पर छतरू यादव के द्वारा दिनांक 12.11.16 को प्रतिउत्तर दाखिल किया जिसमें इन्होंने लिखा है कि अपील आवेदन समयसीमा के अन्तर्गत दाखिल नहीं किया गया है और न ही दाखिल खारिज वाद सं0 10/2002–03 का अभिलेख अंचल कार्यालय, बरही में उपलब्ध नहीं है। अपीलकर्त्ता के द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए अपील आवेदन दायर किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। प्रतिउत्तर में इस बात का उजागर करना अनिवार्य है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 05/03–04 में सुनवाई हेतु अंचल अधिकारी, बरही को निर्देशित करते हुए अभिलेख वापस किया गया। तदोपरांत आवेदिका ने उपायुक्त महोदय हजारीबाग के न्यायालय में अपील दायर किया तथा उपायुक्त महोदय हजारीबाग ने भी अंचल अधिकारी, बरही को पुनः सुनवाई हेतु निदेशित किया गया था। छतरू यादव ने अपने प्रतिउत्तर में उल्लेखित किया है कि मौजा पहाड़पुर थाना बरही थाना नं0 112 जिला हजारीबाग के अन्तर्गत खाता सं0 33 प्लॉट नं0 37 रकबा 2.00 एकड़ भूमि निबंधित केवाला सं0 13199 दिनांक 06.12.1988 से क्रय कर हासिल किया है। भूमि खरीदगी के उपरांत संबंधित अंचल कार्यालय से दाखिल खारिज के पश्चात अध्यतन मालगुजारी रसीद निर्गत हो रहा है। प्रस्तुत अपील वाद में छतरू यादव के द्वारा अपने अधिवक्त के माध्यम स लिखित बहस दाखिल किया है जो प्रतिउत्तर तके लिखे गये बातों को दुहराया गया है। अभिलेख में उपलब्ध आवेदिका का अपील आवेदन, अपत्तिकर्त्ता के द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर, लिखित बहस एवं अंचल अधिकारी, बरही से प्राप्त दाखिल–खारिज वाद सं0 338/13–14 तथा अपीलकर्त्ता की ओर से –

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
— दाखिल कागजातों की छायाप्रति, आवेदिका के द्वारा दाखिल केवाला की छायाप्रति एवं उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को बहस सुनने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हुँ कि मौजा पहाड़पुर थाना बरही थाना नं0 112 जिला हजारीबाग के अन्तर्गत खाता नं0 33 प्लॉट नं0 37 रकबा 9.48 एकड़ मध्ये रकबा 4.74 भूमि का दाखिल खारिज 10 / 2002—03 अंचल अधिकारी, बरही ने जांचोंपरांत स्वत्व वाद का मामला बताते हुए दाखिल खारिज आवेदन को दिनांक 26.03.2003 को खारिज किया गया था, तदोपरांत उक्त दाखिल खारिज के विरूद्ध आवेदिका ने दाखिल खारिज अपील वाद सं0 05 / 03—04 तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही के यहां दाखिल किया जिसे दिनांक 02.07.2004 को पुनः सुनवाई हेतु अभिलेख अंचल अधिकारी, बरही को वापस भेजा गया जैसा कि अपत्तिकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बहस के क्रम में न्ययालय को अवगत कराया गया है जिसकी सत्यता हेतु कागजातों की छायाप्रति सुचीवद्ध दाखिल किया है जो अभिलेख में साक्ष्य के रूप में संलग्न है। दाखिल खारिज अपील वाद सं0 05 / 03—04 के पुनः सुनवाई के संबध में अपीलार्थी / आपतिकर्ता के अधिवक्ता अथवा अंचल अधिकारी बरही के न्यायालय से पारित आदेश के संबंध में कोई प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दाखिल / प्राप्त नहीं कराया गया है। **पुनः** अपीलार्थी अम्बिया देवी के द्वारा प्रश्नगत भूमि खाता सं0 33 प्लॉट नं0 37 रकबा 4.74 एकड़ भूमि का दाखिल खारिज हेतु अंचल अधिकारी, बरही के आदेश फलक के आवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 10.05.13 को दाखिल खारिज हेतु आवेदन समर्पित किया गया था। **करीबन 08 (आठ) वर्षों के अन्तराल में**। इस संबंध में अंचल अधिकारी, बरही ने जांचोंपरांत दिनांक 21.08.13 को **पुनः** दाखिल खारिज आवेदन को खारिज किया गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के द्वारा अंचल न्यायालय के दाखिल खारिज वाद सं0 338 / 13—14 में दिनांक 21.08.13 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील आवेदन दायर किया गया है। सुनवाई के उपरांत उपरोक्त परिपेक्ष के आलोक में अंचल अधिकारी, बरही के दाखिल खारिज वाद सं0 338 / 13—14 में दिनांक 21.08.13 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए आवेदिका के अपील आवेदन को **निरस्त** किया जाता है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, बरही को भेजे। Digitally signed by AJAY BHAGAT Date: 2024.06.18 13:55:29 +05:30 Location: 192.168.32.238 लेखापित एवं संशोधित भूमि सुधार उप—समाहर्त्ता बरही (हजारीबाग) भूमि सुधार उप—समाहर्त्ता बरही (हजारीबाग)	